तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। रेस्पाडेंट्स को समन्स समनक तामील हुए, परन्तु उनकी तरफ से कोई नियुक्त प्लीडर या स्वयं उपस्थित नहीं हुए न ही कोई वकालतनामा ही रिकॉर्ड पर है। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। उन्होंने बहस करते हुए अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। इसने अपने पूर्व पारित आदेश में मनमाना संशोधन कर नया आदेश जारी कर दिया। पूर्व पारित आदेश को रिव्यू करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया एवं मनमाने ढंग से केवल रीडर की रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला कर दिया जबकि पूर्व में दिनांक 2/5/2014 को आदेश पत्रावली के समग्र अवलोकन के पश्चात ही आदेश बावत निषेधाज्ञा पारित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध किसी तरह की कोई निषेधाज्ञा की मांग नहीं की गई बल्कि अपीलार्थी के सेटल्ड प्रजेशन में दखल करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रशासनिक तरीका अपनाते हुए पूर्व पारित आदेश को रिव्यू कर दिया जबकि पूर्व आदेश में अपीलार्थी को प्रोटेक्ट किया था। अपीलार्थी की कब्जे काश्त वाली भूमि ख.नं. 123 रकबा 5 बीघा पर दखल करने का न्यायोचित आदेश नहीं दिया जा सकता है। विवादग्रस्त खसरे की भूमि के आस पास रेस्पोंडेंट की भूमि ही नहीं है एवं रेस्पोंडेंट ने स्वयं ने विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया है इसलिए अपीलाधीन आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे, अपीलाधीन आदेश दिनांक 2/7/2014 निरस्त किया जाकर पूर्व पारित आदेश दिनांक 2/5/2014 को बहाल किया जावे। [signature] P.T.O राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर	[illegible]

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 2.5.14 की आदेशिका देखी। ग्राम अगासनी के ख.नं० 123/38 रकबा 5 बिस्वा, ख.नं० 123/13 रकबा 1-01 बीघा, ख.नं० 123 में रकबा 5 बीघा, ख.नं० 27 रकबा 42-7 बीघा ख.नं० 27/1 रकबा 5-13 बीघा ख.नं० 27/147 रकबा 10-13 बीघा कुल भूमि 64 बीघा 19 बिस्वा पर अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया कि वे इसमें कोई दखल न दे। इसमें आगामी तारीख पेशी दि. 2.6.2014 दी गई। तत्पश्चात दिनांक 21-5-14 की आदेशिका है जिसमें अंकित है कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली पेश हुई। मुताबिक प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र इनको आशंका है कि अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश दि. 2-5-14 का उल्लंघन कर सकते है, इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु S.HO (बिलाड़ा) को लिखा जाकर पत्रावली दि. 2.6.14 को पेश हो। पुनश्च: प्रा.प. के पद सं. 1 में पडासला के बजाय अगासनी पढ़ा जावे।" तत्पश्चात पत्रावली दि. 2.6.14 को पेश हुई जिस पर कुछ अप्रार्थीगण की ओर से जवाब व वकालतनामा पेश हुआ। इसमें आगामी तारीख पेशी 2.7.14 मुकर्रर की गई।	
	तत्पश्चात दि. 10.6.14 को लिपिक की एक कार्यालय टिप्पणी पत्रावली पर है, पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत हुई जिसमें बताया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के पैरा नं. 3 में ख.नं० 123 रकबा 5 बीघा किस्म बा.द० का हवाला दिया है वो भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि नहीं है उक्त भूमि राजकीय भूमि है लिहाजा आदेश दि. 2.5.14 में अंकित ख.नं. 123 रकबा 5 बीघा से संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को रिव्यू किया जाना अपेक्षित है। इस पर उपखण्ड अधिकारी (बिलाड़ा) का Note Sheet पर आदेश है जिसके अनुसरण में दिनांक 2.7.14 की आदेशिका में आदेश है जिसकी अपील की गई है। इसमें अंकित है कि "प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया जिसमें रीडर कार्यालय हाजा द्वारा प्रस्तुत कार्यालय टिप्पणी सही है। लिहाजा दि. 2.5-14 के आदेश में आंशिक संशोधन के साथ ख.नं० 123 रकबा 5 बीघा को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाता है।" प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र	

[signature]

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

के पद सं० 4 में अंकित है कि अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से खसरा संख्या 123 में अवैध कब्जा कर रखा है, जो इनकी खातेदारी भूमि से चिपती हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में उसने अपनी खातेदारी, कब्जाशुदा व काश्तशुदा कृषि भूमि भगासनी का जो खसरावार विवरण दिया है उसमें ख० नं० 123 रकबा 5 बीघा भूमि भी शामिल है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील ग्राम भगासनी संवत 2070 (2013-14) ख० नं० 123 रकबा 5 बीघा में पश्चातवर्ती काश्त प्रार्थी सं० 2 की अंकित है। इससे साबित होता है कि यह ख० नं० 130 राजकीय भूमि है और उस पर प्रार्थी सं० 2 का अवैध अतिक्रमण है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के मुताबिक इस खसरे में अप्रार्थीगण का भी नाजायज रूप से कब्जा किया हुआ है। वास्तव में ख० नं० 123 राजकीय भूमि होने के कारण उभय पक्ष इस पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर काबिज रहे, होना चाहते हैं। यह तथ्य पत्रावली में उपलब्ध एक पुलिस थाना बिलाड़ा का पत्र जो SDM बिलाड़ा को लिखा है, उजागर करता है। इसमें लिखा है कि "संपूर्ण जाँच में पाया गया है कि सायल के (प्रार्थी सं० 1 के पुत्र) ट्यूबवेल के पास सरकारी भूमि पर कब्जा है जिस जमीन को गैर सायल (अप्रार्थी सं० 1) अपना कब्जा करना चाहते है।" प्रार्थना-पत्र के जवाब में अप्रार्थीगण ने पैरा सं० 1 में इसी तथ्य को अंकित किया है कि-" प्रार्थीगण द्वारा सरकारी जमीन के ख० नं० 123 ग्राम भगासनी की जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है तथा उक्त वाद के माध्यम से सरकारी जमीन हड़पने के कुप्रयास किये जा रहे है,

उपरोक्त विवेचन से निष्कर्ष यही है कि ख० नं० 123 ग्राम भगासनी प्रार्थी की खातेदारी भूमि नही होकर गैर मुमकिन राजकीय भूमि है जिसे उभय पक्ष कब्जा करने के प्रयास कर रहे है उसे काश्त करना चाहते है। इसी तथ्य की जानकारी होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आदेशिका के दुरूपयोग को रोकने के लिए स्वप्रेरणा से अपने आदेश को रिव्यू किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई गई है। प्रार्थी स्वच्छ एवं सद्भाविक रूप से न्यायालय के समक्ष नही आया है क्योंकि उसने ख० नं० 123 राजकीय भूमि होने के तथ्य को छिपाया है, स्पष्ट नहीं किया है।

[signature]

P.T.O

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ख॰ नं॰ 123 ग्राम भगासनी राजकीय भूमि होने से इसके संबंध में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु उसके पक्ष में कतई नहीं है और न ही वह इस पर वर्तमान में अपना कब्जा सिद्ध कर पाया है इसलिए ख॰ नं॰ 123 के संबंध में प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 02-07-2014 पुष्टि सहित यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	